न्यायालय –अंकिता गुप्ता खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीमच (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक–	**427/2026**
सी.एन.आर.नंबर–	**MP44010029342026**
संस्थित दिनांक–	**11-08-2026**
आरक्षी केन्द्र–	**नीमच सिटी, जिला नीमच**
अपराध क्रमांक–	**50/2026**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नीमच सिटी, जिला नीमच (म.प्र.)

..............................**अभियोजन**

***** विरूद्ध *****

(1) बद्रीलाल, पुत्र वेणीलाल नायक, आयु 30 वर्ष, निवासी जापरखेड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

(2) रामूबाई, पत्नी बद्रीलाल नायक, आयु 32 वर्ष, निवासी जापरखेड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

(3) सुगनाबाई, पत्नी रमेशचंद्र नायक, आयु 48 वर्ष, निवासी विस्डम स्कूल के पास, इंद्रा नगर, जिला नीमच (म.प्र.)।

........................**अभियुक्तगण**

अभियोजन द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।
अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ता श्री एस.पी.सोनी उपस्थित।

***** उपार्पण आदेश *****

(आज दिनांक 11.08.2026 को पारित)

(1)- इस आदेश के द्वारा प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध उपर्पाण के संबंध में निराकरण किया जा रहा है।

(2)- वर्तमान मामले में आरक्षी केन्द्र नीमच सिटी के अपराध क्रमांक– 50/2026 अंतर्गत **धारा 137(2), 108, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 75 किशोर न्याय**

अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र पेश हुआ था। पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न दस्तावेजो पर विचार करने के बाद यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध अंतर्गत **धारा 108 भारतीय न्याय संहिता** अनन्यतः माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, नीमच के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः यह प्रकरण विधिवत् विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, नीमच के न्यायालय को उपार्पित किया जाता है। माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष आगामी कार्यवाही के लिये **25.08. 2026** की तिथि नियत की जाती है।

(3)- अभियुक्तगण के अधिवक्ता को एवं पीड़ित पक्ष को अभियोग पत्र व उसके साथ संलग्न सभी प्रपत्रों की नकलें प्रदाय की जा चुकी है।

(4)- अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं, अतः जेल अधीक्षक, जिला जेल कनावटी, नीमच को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण को दिनांक **25.08.2026** को प्रातः **11:00 बजे** मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय, नीमच के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रखें।

(5)- अभियोग पत्र के साथ अभियोग पत्र में वर्णित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा चुका है।

(6)- प्रकरण के उर्पापण की सूचना एवं माननीय सत्र न्यायालय में आगामी सुनवाई दिनांक की सूचना लोक अभियोजक को दी जावे।

(7)- पत्रावली संचित कर आगामी सुनवाई दिनांक **25.08.2026** के पूर्व माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, नीमच के न्यायालय में अविलंब प्रेषित की जावे।

आदेश/पारित/हस्ताक्षरित/दिनांकित। **मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।**

(अंकिता गुप्ता खाड़े)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला– नीमच, मध्यप्रदेश

(अंकिता गुप्ता खाड़े)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला– नीमच, मध्यप्रदेश